

कार्यालय आयकर आयुक्त - 3, राजकोट.

'आयकर भवन', प्रथम मंजिल, रेसकोर्स रिंग रोड, राजकोट।
फ़ोन नंबर - 2471688 :: फ़ेक्स नंबर - 2471821

सं. आ. आ. राज 3/80जी/131/सटि/2008-09

दिनांक 1 SEP 2009

गुजरात स्टेट लायन कन्झर्वेशन सोसायटी,
सरदार बाग
जुनागढ

विषय : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी(5) के तहत छूट।
संदर्भ आयकर आयुक्त, राजकोट को प्रस्तुत आपका आवेदन।

गुजरात स्टेट लायन कन्झर्वेशन सोसायटी, को दिए गए दान के संदर्भ में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी(5) के तहत, उसमें विहित सीमाओं के अधीन दानकर्ता को छूट के लिए अनुमति दी जाती है।

यह छूट ता. 01/04/2009 से 31/03/2012 तक मान्य रहेगी।



(पी. के. वात्स्यायन)
आयकर आयुक्त - 3, राजकोट.

नोट

- 1 दानकर्ता को जारी की गई रसीदों पर आदेश का नंबर एवं तारीख तथा छूट की अंतिम तारीख का उल्लेख करना होगा।
- 2 रसीदों एवं व्यय संबंधी खातों का वर्ष वार विवरण आयकर अधिकारी, वार्ड 1(1), जुनागढ को प्रस्तुत करना होगा।
- 3 अगर अगले नवीकरण के लिए आवेदन किया जाए तो फ़ॉर्म नंबर 10जी एवं लेखा संबंधी विवरण के साथ आयकर आयुक्त, राजकोट को प्रस्तुत कर सकते हैं। (कृपया नियम 11-एए देखें)
- 4 कृपया नोट करें कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(4ए) के उपबंधों को ता. 1-4-1971 से लागू किया गया है। अतः प्रत्येक वर्ष के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आय विवरणी दाखिल करनी होगी।

आर. के. त्रिवेदी
(आर. के. त्रिवेदी); आ. अ. (तकनीकी)
कृते, आयकर आयुक्त - 3, राजकोट.

प्रतिलिपि प्रेषित

- 1 संयुक्त/अपर आयकर आयुक्त, रेंज 1, जुनागढ
- 2 आयकर अधिकारी, वार्ड 1(1), जुनागढ को अनुरोध के साथ कि वे ट्रस्टी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणी को सत्यापित करते हुए इस बात की संतुष्टि करें कि उपर्युक्त ट्रस्ट 80जी(5) में निर्धारित शर्तें पूरी करता रहा है।

आर. के. त्रिवेदी
(आर. के. त्रिवेदी); आ. अ. (तकनीकी)
कृते, आयकर आयुक्त - 3, राजकोट.

F-12

2/12